न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 162/2020

उनवान :

1. सत्यवान पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. रामसिंह पुत्र श्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
2. राजकुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
3. सिलोचना पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादी
वकील श्री प्रभूराम गोदारा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 17.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता सं 177/156 के मु0न0 122 के किला न0 8, 9, 12, 13, 14, 19 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल 1.518है0 व चक 7 जेएसएल के खाता सं0 106/101 के मु0 न0 13 के किला न0 3, 8 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 12/2 की 0.126है0, किला न0 13 की 0.253है0, मु0 न0 21 के किला न0 7, 14, 16, 17 प्रत्येक की 0.253है0 कुल 1.897है0 जिसमें से नहरी 0.974है0, बारानी 0.885है0, गै0 मु0 रास्ता 0.013है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 रामसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा चन्दगीराम की खातेदारी हुआ करती थी। चन्दगीराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि का समस्त ... सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक ... राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार ... गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:06 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

[किये] जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया [गया]।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सत्यवान पुत्र रामसिंह के बयान करवाये गये। [दस्]तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी जमाबंदी चक 6 जेएसएल खाता सं0 [1]77/156 संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 7 जेएसएल के खाता सं0 106/101 संवत 2074–77 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि चक 6 जेएसएल खाता सं0 32/36 संवत 2065–68 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि चक 7 जेएसएल के खाता सं0 21/15 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढीछानी प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी के दादा चन्दगीराम से विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में रामसिंह के वारिसान में 2 पुत्र सत्यवान व राजकुमार व 1 पुत्री सिलोचना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 2 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं 3 सिलोचना ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी का 3/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता सं 177/156 के मु0न0 122 के किला न0 8, 9, 12, 13, 14, 19 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल 1.518है0 व चक 7 जेएसएल के खाता सं0 106/101 [illegible] 13 के किला न0 3, 8 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 12/2 की 0.1[illegible] किला न0 13 की 0.253है0, मु0 न0 21 के किला न0 7, 14, 1[illegible] 17 प्रत्येक की 0.253[illegible] 1.897है0 जिसमें से नहरी 0.974है0, बारानी 0.885है0, [illegible] मु0 खाला 0.025है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है [illegible] वादी का 3/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया स0 3 सिलोचना ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के रान्त ही उपरोक्तानुसार वादी का 3/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार 3/8 स्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह 1/4 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर कार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री ारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्य नारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 162/2020

1. सत्यवान पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. रामसिंह पुत्र श्री चंदगीराम जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
2. राजकुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
3. सिलोचना पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रभूराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा 6 जेएसएल के खाता सं 177/156 के मु0न0 122 के किला न0 8, 9, 12, 13, 14, 19 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल 1.518है0 व चक 7 जेएसएल के खाता सं0 106/101 के मु0 न0 13 के किला न0 3, 8 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 12/2 की 0.126है0, किला न0 13 की 0.253है0, मु0 न0 21 के किला न0 7, 14, 16, 17 प्रत्येक की 0.253है0 कुल 1.897है0 जिसमें से नहरी 0.974है0, बारानी 0.885है0, गै0 मु0 रास्ता 0.013है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी का 3/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया स0 3 सिलोचना ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी का 3/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह 1/4 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना [illegible]।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:06 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner